प्रारंभिक परीक्षा

मखाना - सुपर फूड

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने मखाना उत्पादकों से बातचीत करने के लिए बिहार का दौरा किया।

मखाना(Fox Nut) के बारे में -

- यह एक अत्यधिक पौष्टिक जलीय फसल है जो तालाबों, झीलों और आर्द्रभूमि जैसे स्थिर या धीमी गति से बहने वाले जल निकायों में उगती है।
- **यह फसल अपने खाद्य बीजों के लिए जानी जाती है, जो प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं।**
- **इसका मूल स्थान दक्षिण पूर्व एशिया और चीन है।**
- **जलवायु एवं मृदा आवश्यकताएँ:**
  - **मखाना उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु** में सबसे अच्छा बढ़ता है।
  - **20°C से 35°C के बीच तापमान** वाले **गर्म और आर्द्र वातावरण की आवश्यकता** होती है।
  - **चिकनी दोमट मिट्टी में** सबसे अच्छी वृद्धि होती है।
- **पानी की आवश्यकताएँ:**
  - यह 1-2 मीटर की गहराई वाले उथले जल निकायों में उगता है।
  - उचित विकास के लिए स्वच्छ, पोषक तत्वों से भरपूर और स्थिर पानी की आवश्यकता होती है।

भारत में मखाना उत्पादन -

- **भारत विश्व में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है।**
- **प्रमुख उत्पादक राज्य हैं:**
  - **बिहार (भारत का 90% उत्पादन, मुख्यतः मिथिलांचल क्षेत्र में)**
  - **अन्य राज्य:** पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा आदि।
- **यद्यपि बिहार देश की 90% मखाना फसल का उत्पादन करता है, फिर भी भारत में सबसे बड़े मखाना निर्यातक पंजाब और असम हैं।**
  - पंजाब में मखाना का उत्पादन भी नहीं होता।

- **कारण:** बिहार में न तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित है और न ही आवश्यक निर्यात अवसंरचना है।

हालिया विकास -

- **बिहार के मिथिला मखाना को 2022 में भौगोलिक संकेत (GI) टैग से सम्मानित किया गया।**
- केंद्रीय बजट 2025 में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई थी।
- **राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र - दरभंगा (बिहार)।**

स्रोत: **The Hindu - Makhana**

भारत में वेबसाइट ब्लॉक करने के लिए कानूनी ढांचा

संदर्भ

हाल ही में तमिल पत्रिका विकटन की वेबसाइट कई उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो गई।

प्रक्रिया के बारे में -

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A:** सरकार को निम्नलिखित कारणों से **वेबसाइटों को ब्लॉक करने की शक्ति देती है:**
  - भारत की संप्रभुता और अखंडता।
  - राज्य की रक्षा एवं सुरक्षा।
  - विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
  - सार्वजनिक व्यवस्था या उकसावे की रोकथाम।
  - **ब्लॉकिंग आदेश गोपनीय होते हैं** और सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किए जाते।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (सार्वजनिक रूप से सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009:**
  - मंत्रालयों या राज्य सरकार के विभागों को एक नोडल अधिकारी के माध्यम से वेबसाइट ब्लॉक करने का अनुरोध करने की अनुमति देता है।
  - आईटी मंत्रालय अनुरोध की समीक्षा करने और ब्लॉक करने पर निर्णय लेने के लिए एक समिति नियुक्त करता है।
  - एक बार मंजूरी मिलने के बाद, दूरसंचार विभाग (DoT) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को साइट को ब्लॉक करने के लिए सूचित करता है।
- **आईटी नियम, 2021 (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता):**
  - वेबसाइटों, सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों पर सामग्री हटाने को नियंत्रित करता है।
  - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विषय-वस्तु हटाने के लिए आपातकालीन आदेश जारी करने की अनुमति देता है।
  - संपूर्ण वेबसाइट ब्लॉकिंग के विपरीत, इस नियम का उपयोग विशिष्ट सामग्री (पोस्ट, लेख, वीडियो आदि) को हटाने के लिए किया जाता है।
- **विशिष्ट सामग्री को ब्लॉक करने में तकनीकी चुनौतियाँ:**
  - **सुरक्षित HTTPS वेबसाइटों के उदय के साथ, विशिष्ट पृष्ठों को ब्लॉक करना कठिन हो गया है।**
  - ISP केवल सम्पूर्ण डोमेन को ब्लॉक कर सकते हैं, किसी एक वेब पेज को नहीं, जब तक कि वेबसाइट सहयोग न करे।

स्रोत: **The Hindu - How was 'Vikatan' made inaccessible?**

गैग ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

संदर्भ

सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर और इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया को उनके खिलाफ दर्ज कई FIR के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है।

गैग ऑर्डर(Gag Orders) क्या हैं?

- **गैग ऑर्डर एक कानूनी निर्देश है जो व्यक्तियों या मीडिया आउटलेट्स को कुछ मामलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने से रोकता है।**
- **उद्देश्य:**
    - निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों की रक्षा करता है।
    - मीडिया के पूर्वाग्रहपूर्ण प्रभाव को रोकता है।
- सुप्रीम कोर्ट का इलाहाबादिया को यूट्यूब या अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो प्रसारित करने से रोकने का निर्देश एक तरह से **गैग ऑर्डर** है।
- **निर्णय के पीछे कानूनी अवधारणा:** पूर्व संयम का सिद्धांत(Doctrine of Prior Restraint)।
    - यह राज्य द्वारा की गई उस कार्रवाई को संदर्भित करता है जो भाषण या अभिव्यक्ति को घटित होने से पहले ही प्रतिबंधित कर देती है।
- **भारत में गैग ऑर्डर का कानूनी आधार:**
    - **CrPC की धारा-144:** सरकार को कानून और व्यवस्था की चिंता के मामलों में सार्वजनिक बयानों को प्रतिबंधित करने की अनुमति देती है।
    - **न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971:** न्यायिक प्रभाव को रोकने के लिए चल रहे कानूनी मामलों पर सार्वजनिक चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है।
    - **भारतीय संविधान का अनुच्छेद-19(2):** सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के लिए मुक्त भाषण पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।

आपराधिक मामलों में अंतरिम राहत -

- **अंतरिम राहत के लिए शर्तें:** कोई वैधानिक दिशानिर्देश मौजूद नहीं हैं; अदालतें तीन प्रमुख कारकों के आधार पर न्यायिक विवेक का प्रयोग करती हैं:
    - भागने का जोखिम - क्या अभियुक्त फरार हो सकता है।
    - गवाहों को डराना-धमकाना - गवाहों को धमकी मिलने का खतरा।
    - साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ - जांच में हस्तक्षेप की संभावना।
- **जमानत की शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले:**
    - **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई (2022):** अनुचित ज़मानत शर्तें ज़मानत देने के उद्देश्य को विफल कर सकती हैं।
    - **फ्रैंक विटस बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (2024):** आरोपी को गूगल मैप्स लोकेशन पिन साझा करने की आवश्यकता वाली जमानत शर्त को खारिज कर दिया गया।
        - अदालत ने फैसला सुनाया कि यह **अनुच्छेद-21** के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

स्रोत: The Hindu - Gag Orders

पिघलते ग्लेशियर और बढ़ता समुद्र स्तर

संदर्भ

एक नए प्रकाशित अध्ययन में पाया गया है कि **दुनिया भर के ग्लेशियर प्रति वर्ष 273 बिलियन टन बर्फ खो रहे हैं**, **जिसके कारण अकेले 21वीं सदी में समुद्र का स्तर लगभग 2 सेमी बढ़ गया है**।

समुद्र का जल स्तर क्यों बढ़ रहा है?

- **समुद्र के जल स्तर में वृद्धि महासागर की सतह की ऊंचाई में वृद्धि है, जिसे पृथ्वी के केंद्र से मापा जाता है।**
- **ग्लेशियरों और हिम चादरों का पिघलना**
    - ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर (भूमि पर बर्फ और हिम के बड़े पिंड) पिघल रहे हैं।
    - ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में हिम चादरें(50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करने वाले ग्लेशियर) भी खतरनाक दर से बर्फ खो रही हैं।
    - 2000 के बाद से, वैश्विक स्तर पर ग्लेशियरों ने अपनी 5% बर्फ खो दी है, यह दर ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक हिम चादरों से भी अधिक है।
- **समुद्री जल का तापीय विस्तार**
    - जैसे-जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता है, महासागर गर्म होते जाते हैं।
    - गर्म पानी का आयतन बढ़ता है, जिससे वैश्विक समुद्र स्तर में एक तिहाई से आधे तक की वृद्धि होती है।
    - नासा ने पुष्टि की है कि तापीय विस्तार समुद्र के बढ़ते स्तर का एक प्रमुख कारण है।
- **समुद्र स्तर में वृद्धि विश्व भर में एक समान नहीं है।**
    - **दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर:** प्रति वर्ष 2.5 मिमी की दर से बढ़ रहा है, जो वैश्विक औसत से अधिक है।
    - **असमान वृद्धि के कारण:** महासागरीय ताप सामग्री और लवणता में स्थानीय परिवर्तन।

समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के कारण चिंताएँ -

- **तटीय बाढ़ और भूमि हानि:**
    - तटीय क्षेत्रों में बार-बार और तीव्र बाढ़ आती है।
    - पश्चिम बंगाल ने 1990 से 2016 के बीच 99 वर्ग किलोमीटर भूमि खो दी।
    - अधिक बाढ़ के कारण तटीय कटाव बढ़ता है, जिससे तटीय आबादी विस्थापित होती है।
- **तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव:**
    - समुद्र का उच्च स्तर समुद्री जल को अंतर्देशीय क्षेत्र में धकेलता है, जिससे मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ और नमक दलदल जैसे पारिस्थितिकी तंत्रों को नुकसान पहुँचता है।
    - ये पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हैं और तटीय क्षेत्रों को तूफानों से बचाते हैं।
- **तूफानी लहरों और खारे पानी के प्रदूषण में वृद्धि:**
    - उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के दौरान समुद्र का बढ़ता स्तर तूफानी लहरों को तीव्र कर देता है, जिससे अंतर्देशीय क्षेत्रों में अधिक विनाश होता है।
    - खारे पानी के अतिक्रमण से मीठे पानी की आपूर्ति दूषित हो जाती है, जिससे प्रभावित होते हैं: पेयजल, कृषि और मत्स्य पालन।
- **मानव आबादी खतरे में:**
    - **साइंटिफिक रिपोर्ट्स में 2024 के** एक अध्ययन में पाया गया कि:
        - 2018 में वैश्विक आबादी का 29% हिस्सा तट के 50 किमी के भीतर रहता था।
        - 15% जल निकायों के केवल 10 किमी के भीतर रहते थे।

स्रोत: **Indian Express - 2 cm of sea level rise**

टैपेंटाडोल-कैरिसोप्रोडोल ड्रग कॉम्बिनेशन के निर्यात पर प्रतिबंध

संदर्भ

हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने टैपेंटाडोल-कैरिसोप्रोडोल दवा संयोजन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इसके बारे में -

- **टैपेंटाडोल(Tapentadol):**
  - **यह एक ओपिओइड दर्दनिवारक(Opioid analgesic) है।**
  - इसका उपयोग मध्यम से गंभीर दर्द के इलाज के लिए किया जाता है, जिसमें सर्जरी के बाद का दर्द, न्यूरोपैथिक दर्द आदि शामिल हैं।
  - **दुष्प्रभाव**: लत और निर्भरता का जोखिम (भारत में अनुसूची एच1 दवा के रूप में वर्गीकृत, जिसके लिए डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता होती है)।
- **कैरिसोप्रोडोल(Carisoprodol):**
  - **यह एक मांसपेशी शिथिलक(muscle relaxant) है।**
  - इसका उपयोग चोट, मोच या मस्कुलोस्केलेटल विकारों के कारण मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द के इलाज के लिए किया जाता है।
  - यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (सीएनएस) पर कार्य करता है और तंत्रिकाओं और मस्तिष्क के बीच दर्द संवेदनाओं को रोकता है।
- **टैपेंटाडोल-कैरिसोप्रोडोल का संयोजन: भारत में स्वीकृत नहीं**
  - टैपेंटाडोल और कैरिसोप्रोडोल दोनों को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित किया गया है।
  - **जोखिम:**
    - उनके संयुक्त ओपिओइड + शामक प्रभावों के कारण अत्यधिक नशे की लत।
    - गंभीर श्वसन अवसाद, बेहोशी, ओवरडोज का खतरा हो सकता है।
    - कुछ क्षेत्रों में मनोरंजक दवा के रूप में इसका दुरुपयोग किया जाता है।

स्रोत: The Hindu - Tapentadol, Carisoprodol

समाचार में स्थान

माउंट एटना

- यूरोप का सबसे ऊंचा और सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी एक बार फिर फट गया है।

- **अवस्थिति:** सिसिली, इटली।
- यह अफ्रीकी और यूरेशियाई प्लेटों के बीच अभिसारी प्लेट सीमा के ऊपर स्थित है।
- **यह एक स्ट्रैटोवोलकानो (मिश्रित ज्वालामुखी) है।**

तथ्य

- **यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है (2013 से)।**
- **यह यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है।**
- संयुक्त राष्ट्र ने माउंट एटना को ज्वालामुखी गतिविधि के इतिहास और आबादी वाले क्षेत्रों से निकटता के कारण दशकीय ज्वालामुखी के रूप में नामित किया है।

स्रोत: The Hindu - Mt. Etna

टोंकिन की खाड़ी

- हाल ही में वियतनाम के विदेश मंत्रालय ने टोंकिन की खाड़ी में अपने आधारभूत दावे को परिभाषित करते हुए एक मानचित्र जारी किया।
- **उद्देश्य:** टोंकिन की खाड़ी में वियतनाम के संप्रभु अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें लागू करना।

- **अवस्थिति:** उत्तर-पश्चिमी दक्षिण चीन सागर में स्थित है।
- इसकी **सीमा वियतनाम** (पश्चिम और उत्तरपश्चिम) और **चीन** (उत्तर और पूर्व) से लगती है।
- **इसे चीनी में "बेइबू खाड़ी" और वियतनामी में "बैक बो खाड़ी" कहा जाता है।**
- **ऐतिहासिक महत्व:**
  - **वियतनाम युद्ध (1964):** टोंकिन की खाड़ी की घटना के कारण वियतनाम में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप हुआ।

स्रोत: DD News- Gulf of Tonkin

समाचार संक्षेप में

बंगाल की खाड़ी (BOB) अंतर-सरकारी संगठन

- मालदीव के माले में 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बंगाल की खाड़ी अंतर-सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाल ली है।

BOB अंतर-सरकारी संगठन के बारे में -

- **यह एक क्षेत्रीय मत्स्य पालन सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना 2003 में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सतत तटीय मत्स्य पालन विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।**
- इसका प्राथमिक उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना तथा तकनीकी एवं प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करना है।
- **सदस्य देश:** बांग्लादेश, भारत, मालदीव और श्रीलंका।
    - **इंडोनेशिया** , **मलेशिया** , **म्यांमार** और **थाईलैंड** सहयोगी गैर-अनुबंधित पक्षों के रूप में भाग लेते हैं।
- **BOB-IGO** 1979 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (**FAO)** द्वारा शुरू किए गए बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम से विकसित हुआ।

स्रोत: [Business Standard - BOB IGO]

UGC-CARE सूची

- **जर्नल चयन को विकेन्द्रीकृत करने और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए UGC-CARE सूची को बंद कर दिया गया है।**

UGC-CARE सूची के बारे में -

- **यह उन पत्रिकाओं की सूची है जिन्हें उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है और जिनका उपयोग शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।**
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शोध की गुणवत्ता में सुधार लाने और अकादमिक अखंडता को बढ़ावा देने के लिए यह सूची बनाई है।
- इसे 2018 में पेश किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल प्रतिष्ठित अकादमिक पत्रिकाओं को मान्यता दी जाए: संकाय चयन, पदोन्नति और अनुसंधान वित्त पोषण अनुप्रयोग।
- **नई प्रणाली:**
    - **सुझावात्मक मापदंडों की एक नई प्रणाली** (8 मानदंडों के तहत 36) अब जर्नल चयन का मार्गदर्शन करेगी।

स्रोत: [The Hindu - UGC Care list]

संपादकीय सारांश

वैश्विक प्रतिभा की कमी-भारत के लिए अवसर

संदर्भ

एक हालिया FICCI-KPMG अध्ययन, 'ग्लोबल मोबिलिटी ऑफ इंडियन वर्कफोर्स' ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक, कुशल श्रमिकों की मांग आपूर्ति से अधिक हो जाएगी, जिससे 85.2 मिलियन से अधिक लोगों की प्रतिभा की कमी हो जाएगी।

भारत के लाभ और अवसर -

- **अनुकूल वैश्विक धारणा:** भारतीय श्रमिकों को अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में महत्वपूर्ण शत्रुता का सामना नहीं करना पड़ता है।
    - आव्रजन विरोधी भावनाओं के बावजूद कुशल भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलना जारी है।
- **विशाल एवं युवा कार्यबल:** भारत को जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त है, क्योंकि यहां कुशल पेशेवरों का बड़ा भंडार है।
    - यूरोप, जी.सी.सी. और ऑस्ट्रेलिया में वृद्ध अर्थव्यवस्थाओं को प्रतिभा की आपूर्ति करने की क्षमता।
- **विविध कौशल आधार:** आईटी, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग और एआई और स्वचालन जैसे उभरते क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति।
    - नवीकरणीय ऊर्जा, स्थिरता और डिजिटल अर्थव्यवस्था में कौशल का विस्तार करना।
- **कार्यबल गतिशीलता के लिए रणनीतिक भौगोलिक क्षेत्र:** खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी), यूरोप (यूनाइटेड किंगडम सहित) और ऑस्ट्रेलिया में कुशल पेशेवरों की उच्च मांग है।
    - स्वास्थ्य सेवा, सेवा, निर्माण और विनिर्माण उच्च मांग वाले क्षेत्र बने हुए हैं।
- **आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की संभावना:** वैश्विक बाजारों में भारतीय कार्यबल की भागीदारी भारत को 2030 तक 9 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकती है।
    - 8.45 ट्रिलियन डॉलर की अप्राप्य वैश्विक आर्थिक क्षमता का दोहन करना ।
- **कानूनी प्रवास पर सरकार का ध्यान:** अवैध प्रवास को रोकने के प्रयासों से भारत की एक विश्वसनीय प्रतिभा आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रतिष्ठा बढ़ी है।
    - भारतीय प्रवासियों के लिए बेहतर कार्य स्थितियां और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

सीमाओं के पार कुशल श्रमिकों की सुलभ आवाजाही में बाधाएं

- **विनियामक और आव्रजन बाधाएं:** जटिल वीज़ा प्रक्रियाएं और कठोर कार्य परमिट विनियम कुशल प्रवासन में बाधा डालते हैं।
    - कुछ देशों में संरक्षणवादी नीतियां हैं जो विदेशी श्रमिकों के प्रवेश को सीमित करती हैं।
- **भर्ती में कदाचार और तस्करी:** शोषणकारी भर्ती प्रथाएं और धोखेबाज एजेंट श्रमिकों का फायदा उठाते हैं।
    - मानव तस्करी प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।
- **नीतिगत बाधाएं और कौशल विसंगतियां:** भारतीय डिग्रियां, विशेष रूप से चिकित्सा में, सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं हैं, जिसके कारण अल्परोजगार की स्थिति पैदा होती है।
    - कुछ अंतर्राष्ट्रीय नौकरी बाज़ारों में अतिरिक्त प्रमाणन या लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
- **भाषाई एवं सांस्कृतिक बाधाएं:** मेजबान देश की भाषा में दक्षता का अभाव नौकरी के अवसरों को प्रभावित करता है।
    - सांस्कृतिक अंतर एकीकरण को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं, जिससे कार्यबल की दक्षता कम हो जाती है।

भारत सरकार की पहल -

- **द्विपक्षीय समझौते और मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए):** भारतीय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जीसीसी देशों और अन्य देशों के साथ समझौते।
    - संयुक्त **भारत-यूएई विजन** दोनों देशों के बीच कौशल सहयोग पर जोर देता है।
- **कौशल विकास कार्यक्रम:** भारतीय कार्यबल के कौशल को वैश्विक बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए प्रशिक्षण पहल।
    - स्वचालन, एआई, बिग डेटा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें।
- **कार्यबल समर्थन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म:** ऑनलाइन भर्ती प्रणालियां श्रमिकों के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।
    - इससे धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलती है, विशेष रूप से जी.सी.सी. देशों में।
- **योग्यताओं की मान्यता:** विदेशों में भारतीय शैक्षणिक और व्यावसायिक डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता के लिए प्रयास जारी हैं।
- **भर्ती प्रथाओं का विनियमन:** शोषण और तस्करी को रोकने के लिए भर्ती एजेंसियों पर सख्त निगरानी।
- **परिपत्र प्रवासन और गतिशीलता को बढ़ावा देना:** श्रम की कमी को दूर करने के लिए अस्थायी कार्य वीज़ा और रोटेशनल कार्यबल मॉडल।

स्रोत: **The Hindu: Talent shortage — global challenge, India's opportunity**

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति

संदर्भ

चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति प्रक्रिया पर वर्षों से सवाल उठते रहे हैं, जिससे इस महत्वपूर्ण संस्था की स्वायत्तता और निष्पक्षता पर गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती रही हैं।

चुनाव आयुक्तों (CEC और EC) की नियुक्ति की प्रक्रिया

पहलू	पुरानी प्रक्रिया	सुप्रीम कोर्ट का फैसला (अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ) 2023	नया कानून
नियुक्ति प्रक्रिया	राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त किया जाता है, जिसका सुझाव आमतौर पर कानून मंत्री और प्रधान मंत्री द्वारा दिया जाता है।	सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि **मुख्य चुनाव आयुक्त**(**CEC**) और **चुनाव आयुक्तों**(**EC**) की नियुक्ति प्रधानमंत्री**,** लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी।	राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर नियुक्ति की जाती है जिसमें प्रधान मंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होते हैं।
चयन समिति	निर्दिष्ट नहीं है।	प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश।	इसमें प्रधानमंत्री, एक केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री तथा विपक्ष के नेता/लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होते हैं।
खोज समिति	निर्दिष्ट नहीं है।		कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक खोज समिति चयन समिति को नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी।
वेतन एवं शर्तें	सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष।		इसे कैबिनेट सचिव के समकक्ष बनाया गया।
निष्कासन प्रक्रिया	मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर चुनाव आयुक्तों को हटाया जा सकता है।		सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का संवैधानिक प्रावधान बरकरार रखा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर चुनाव आयुक्तों को हटाया जा सकता है।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में चुनौतियाँ

- **संस्थागत स्वतंत्रता का अभाव:** चयन पैनल पर कार्यपालिका का प्रभुत्व होता है , जिससे निर्वाचन आयोग की तटस्थता प्रभावित होती है।
    - के अधिनियम द्वारा मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक केंद्रीय मंत्री को नियुक्त किया गया, जिससे सत्तारूढ़ दल को अधिक नियंत्रण प्राप्त हुआ।
- **सर्वोच्च न्यायालय की भावना का उल्लंघन:** सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले में संसद द्वारा कानून पारित होने तक एक संतुलित समिति (प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश) की सिफारिश की गई थी।

  - नये कानून ने फैसले की भावना को उलट दिया, जिससे कार्यपालिका के अतिक्रमण को लेकर चिंताएं पैदा हो गईं।
- **न्यायिक समीक्षा में विलंब:** एडीआर की कानूनी चुनौती के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक नहीं लगाई, तथा नए कानून के तहत नई नियुक्तियों की अनुमति दे दी।
  - 19 फरवरी, 2025 को होने वाली सुनवाई बिना किसी नई तारीख के स्थगित कर दी गई , जिससे नियुक्तियों की वैधता पर अनिश्चितता बनी हुई है।
- **पारदर्शिता का अभाव:** वर्तमान चयन प्रक्रिया में सार्वजनिक जांच और संस्थागत जांच का अभाव है।
  - कोई संसदीय निगरानी या स्वतंत्र समीक्षा तंत्र मौजूद नहीं है।
- **सार्वजनिक धारणा और विश्वसनीयता के मुद्दे:** लोकतंत्र में दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है - पूर्वाग्रह की कोई भी धारणा चुनावों की विश्वसनीयता को कमजोर करती है।
  - जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग की स्वतंत्रता न केवल विद्यमान होनी चाहिए बल्कि दृश्यमान भी होनी चाहिए।
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की अनदेखी:** अन्य लोकतंत्रों में अधिक पारदर्शी, द्विदलीय और संस्थागत रूप से संतुलित चयन प्रक्रियाएं हैं।
  - एक अग्रणी लोकतंत्र होने के बावजूद भारत का मॉडल अपारदर्शी और राजनीतिक रूप से नियंत्रित बना हुआ है।

EC नियुक्तियों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ

- **संयुक्त राज्य अमेरिका**: राष्ट्रपति सीनेट की सलाह और सहमति से आयुक्तों की नियुक्ति करता है।
- **दक्षिण अफ्रीका**: राष्ट्रपति राष्ट्रीय असेंबली की सिफारिश के आधार पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं।
- **ब्राज़ील**: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संघीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है ।
- **यूनाइटेड किंगडम**: नियुक्तियां निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष समिति द्वारा की जाती हैं , जिसमें विभिन्न दलों के सदस्य होते हैं।
- **फ्रांस**: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति, विधायिका और न्यायपालिका द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है।
- **नेपाल**: राष्ट्रपति संवैधानिक परिषद की सिफारिश के आधार पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं , जिसके बाद संसदीय सुनवाई होती है।

निष्कर्ष

- बहुसदस्यीय और तटस्थ कॉलेजियम-आधारित नियुक्ति प्रणाली को अपनाने से ECI की स्वतंत्रता मजबूत होगी।
- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरणा लेने से भारत की चुनाव प्रक्रिया में विश्वसनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
- भारत में चुनावी लोकतंत्र का भविष्य न्यायिक हस्तक्षेप, सार्वजनिक दबाव और राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ इन चिंताओं को दूर करने पर निर्भर करता है।

स्रोत: **Indian Express: Doing the Right Thing**